



राजस्थान सरकार

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाली**  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट बाली)

—:आदेश:—

दिनांक ०३-०९-२३

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी हल्का लाटाडा व भू-अभिलेख निरीक्षक बेडा कैम्प मुण्डारा रिपोर्ट तथा तहसीलदार बाली की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम लाटाडा तहसील बाली व जिला पाली की जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 में खाता संख्या 313 व 314 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश(शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	लाटाडा	313 व 314	छोगाराम पुत्र नगाराम	चन्द्रपाल बामणिया पुत्र नगाराम

पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड लोक अदालत  
बाली (उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहा. कलक्टर, बाली)

क्रमांक :- कोर्ट/2023/530-32

दिनांक :- 14-09-23

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार बाली को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री चन्द्रपाल बामणिया पुत्र नगाराम, मेघवालों का बास, लाटाडा तहसील बाली को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।



पीठासीन अधिकारी  
लोक अदालत  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहा. कलक्टर, बाली